[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग–II, खंड -3, उपखंड-(i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 34/2019-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.क.नि. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1), और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून 2017, जिसे सा.का.नि 785 (अ), दिनांक 30 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग–II, खंड -3, उपखंड-(i) में प्रकाशित किया गया था में एतद्द्वारा और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसचूना में,

(I) सारणी में,

(क) क्रम संख्या 359क के समक्ष, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "विनिर्दिष्ट बैंकों और अन्य इकाइयों के द्वारा स्वर्ण, चांदी या प्लेटिनम का आयात (सूची 34 के अनुसार)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) क्रम संख्या 557क के समक्ष, स्तम्भ (3) में, "आयात के पश्चात उपयोग के लिए आयातकर्ता के द्वारा पट्टे पर लिए जाने" शब्दों के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) या 5(च) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के अंतर्गत" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) क्रम संख्या 557ख के समक्ष, स्तम्भ (3) में, "आयात के पश्चात उपयोग के लिए आयातकर्ता के द्वारा पट्टे पर लिया जाने" शब्दों के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) या 5(च) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के अंतर्गत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(घ) क्रम संख्या 557ख एवं उनसे सबंधी प्रविष्टियों के बाद निम्न क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
557ग	89	भारतीय सीमाशुल्क जल-क्षेत्र में केबल बिछाने या मरम्मत सेवाओं के लिए जहाज/जलयान उपलब्ध कराना	-	शून्य	105";

(II) उपाबंध में-

(i) शर्त संख्या -104 एंव संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न शर्त संख्या एवं प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी।

शर्त संख्या	शर्त
105	"आयातकर्ता, सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट, प्रारूप में एवं उतनी धनराशि के

	बांड, के निष्पादन के माध्यम से स्वयं को प्रतिबद्ध करता हो – (i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(7) के तहत उदग्रहणीय एकीकृत कर और सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत केबल बिछाने और मरम्मत सेवाओं में प्रयुक्त वस्तुओं पर उदग्रहणीय कर का भुगतान करना । (ii) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 (1) के तहत केबल बिछाने और मरम्मत सेवाओं पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर का भुगतान करना । (iii) यथास्थिति सीमाशुल्क के उपायुक्त या सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त को इस बात का वचनपत्र देना कि आयातित माल गृह उपभोग के लिए नहीं बेची जाएंगी और बिल में निर्दिष्ट प्रविष्टि के अलावा उनका अन्यत्र प्रयोग नहीं किया जाएगा । (iv) कथित केबल बिछाने और मरम्मत सेवा के पूर्ण होने के तत्काल बाद जहाज/जलयानों को पुन: वापस भेजना । (v) उपर्युक्त किसी भी शर्त के पूरा न होने पर इस अधिसूचना के अंतर्गत दी गई छूट के सिवाय उक्त माल पर लगने वाले एकीकृत कर के बराबर की राशि का मांग किए जाने पर भुगतान करना ।

(III) सूची 34 में मद संख्या (41) और उससे संबंधित निम्न क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(42) डायमण्ड इंडिया लिमिटेड (डीआईएल)"

2. यह अधिसूचना 1अक्टूबर 2019 से लागू की जाएगी ।

[फा.सं. 354/131/2019-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 30/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 17 सितम्बर 2019, जिसे सा.का.नि. 1515 (अ) दिनांक 17 सितम्बर, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।